आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :मुजफ्फर नगर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-02606/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202109550102606
Anshu singhal बनाम U.P govt
अंतर्गत धारा- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी अनुभव कुमार पुत्र श्री पंकज कुमार निवासी 25/7 रामबाग रोड मुजफ्फरनगर,सचिव सनातन धर्म कालेज एसोसिएशन के द्वारा ग्राम सहावली के खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 8/6/2,5270 है0 लगान सालाना 124-95 रूपये को कृषि कार्य में प्रयोग न होने के कारण अकृषिक घोषित करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर प्रारम्भ की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 17-3-2021 प्राप्त हुयी। जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी भूमि स्थित ग्राम-सहावली के संकमणीय भूमिधर है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को कृषि कार्य में प्रयोग न किये जाने के कारण धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य उद्यानीकरण व पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन अथवा कुक्कुट पालन भी है के निमित्त प्रयोग नही हो रहा है। प्रश्नगत खसरा नम्बर मौके पर वर्णित भूमि कृषि कार्य बन्द करके मौके कालेज स्थापित है इसलिये उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग में आ रही है उक्त भूमि पर भविष्य में कोई कृषि कार्य होने के सम्भावना नही है। उक्त भूमि में से जोत चकबंदी आकार-पत्र 41 व 45 से स्पष्ट है कि गैर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भूमि धारा-77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही रही है। उक्त वर्णित भूमि पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृषिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-65(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम-सहावली परगना मुजफ्फरनगर व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का निर्धारित सर्किल रेट 1,00,00,000-00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तावित रकबा 2.5270 है0 भूमि की मालियत 2,52,70,000-00 रूपये होती है।जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 2,52,700/-रूपये होती है। उक्त धनराशि प्रार्थी के द्वारा जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखो,मौके के फोटोग्राफ, तहसीलदार, सदर से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 17-3-2021 एवं उसके साथ संलग्न प्रारूप,नकल खतौनी ,नक्शा नजरी आदि का अवलोकन किया गया। जिससे

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :मुजफ्फर नगर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-02606/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202109550102606
Anbhu singhal बनाम U.P govt
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विदित है कि भूमि स्थित ग्राम-सहावली पर प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जिस पर प्रार्थी का अध्यासन है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजन मे होने के कारण अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उक्त भूमि में वर्तमान मे कृषि कार्य को बन्द करके मौके पर [illegible] नम्बर मौके पर वर्णित भूमि कृषि कार्य बन्द करके मौके मौके पर कालेज स्थापित है इसलिए उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग में I रही है तथा निर्माण किया जा रहा है। जिस कारण उक्त भूमि का उपयोग वाणिज्यिक/आवासीय हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य,उद्यानीकरण व पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन अथवा कुक्कुट पालन भी है के निमित्त प्रयोग नहीं हो रहा है। उक्त भूमि में भविष्य में कृषि कार्य होने की सम्भावना नहीं है। जोत चकबन्दी आकार-पत्र 41 व 45 से स्पष्ट है कि गैर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भूमि धारा-77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं रही है। उक्त वर्णित भूमि पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृषिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-85(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम-सहावली परगना मुजफ्फरनगर व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का निर्धारित सर्किल रेट 1,00,00,000-00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तावित रकबा 2.5270 है0 भूमि की मालियत 2,52,70,000-00 रूपये होती है जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 2,52,700/-रूपये होती है। उक्त धनराशि प्रार्थी के द्वारा जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा चालान संख्या सी0एन 00287 दिनांक 23-3-2021 के द्वारा उक्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी गई है तथा इतनी ही धनराशि के स्टाम्प पेपर दिनांकित 26-3-2021 पत्रावली में संलग्न किये गये है, तहसीलदार सदर के द्वारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक किये जाने की संस्तुति की गई है लेकिन वर्तमान में अभी कालेज हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए प्रश्नगत भूमि को धारा-80(1)उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम-सहावली के खाता संख्या 148 खसरा नम्बरान 8/6/2.5270 है0 लगान सालाना 124-95 रूपये को

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :मुजफ्फर नगर , तहसील :सदर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202109550102606
वाद संख्या:- 02606/2021
Anbhu singhal बनाम U.P govt
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 31/03/2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी अनुभव कुमार पुत्र श्री पंकज कुमार निवासी 25/7 रामबाग रोड मुजफ्फरनगर, सचिव सनातन धर्म कालेज एसोसियेशन
संख्या 146 खसरा नम्बर 8/6/2.5270 है0 लगान सालाना 124-95 रूपये को कृषि कार्य में प्रयोग न होने के कारण अकृषिक घोषित करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्र
गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 17-3-2021 प्राप्त हुयी। जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी भू
संक्रमणीय भूमिधर है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को कृषि कार्य में प्रयोग न किये जाने के कारण धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उक्त
कार्य,उद्यानीकरण व पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन अथवा कुक्कुट पालन भी है के निमित्त प्रयोग नही हो रहा है। प्रश्नगत खसरा नम्बर मौके पर वर्णित
कालेज स्थापित है इसलिये उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग में आ रही है, उक्त भूमि पर भविष्य में कोई कृषि कार्य होने के सम्भावना नही है। । उक्त भूमि में
[illegible] है कि गैर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भू_मि धारा 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं रही है।
किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृषिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) व उत्तर
2016 के नियम-85(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम-सहावली परगना मुजफ्फरनगर व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का निर्धारित सर्कि
प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तावित रकबा 2.5270 है0 भूमि की मालियत 2,52,70,000-00 रूपये होती है।जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 2,52,700/-रूपये होत
जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेखों,मौके के फोटोग्राफ, तहसीलदार, सदर से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 17-3-2021 एवं उसके साथ संलग्न प्रारू
आदि का अवलोकन किया गया। जिससे विदित है कि भूमि स्थित ग्राम-सहावली पर प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जिस
अपनी उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजन में होने के कारण अकृषिक घोषित कराना चाहता है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य को बन्द करके मौके पर प्र
भूमि कृषि कार्य बन्द करके मौके मौके पर कालेज स्थापित है इसलिए उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग में आ रही है तथा निर्माण किया जा रहा है। जिस कार
[illegible] आवासीय हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य उद्यानीकरण व पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन अथवा कुक्कुट पालन भी है
उक्त भूमि में भविष्य में कृषि कार्य होने की सम्भावना नही है। जोत चकबंदी आकार-पत्र 41 व 45 से स्पष्ट है कि गैर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भू_मि
संहिता-06 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं रही है। उक्त वर्णित भूमि पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। उक्त भूमि का उपय
रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-85(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा
व तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का निर्धारित सर्किल रेट 1,00,,00,000-00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तावित रकबा 2.5270 है0 भूमि की मालि
है।जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 2,52,700/-रूपये होती है। उक्त धनराशि प्रार्थी के द्वारा जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व सं
अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा चालान संख्या सी0एन 00287 दिनांक 23-3-2021 के द्वारा उक्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी गई है तथा इतनी ही धनराशि के
पत्रावली में संलग्न किये गये है, तहसीलदार सदर के द्वारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक किये जाने की संस्तुति की गई है लेकिन वर्तमान में अभी कालेज हेतु निर्मा
प्रश्नगत भूमि को धारा-80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।
आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम-सहावली के खाता संख्या 146 खसरा नम्बरान 8/6/2.5270 है0 लगान सालाना 124-95 रूपये को उ0प्र0राजस्
अन्तर्गत अकृषिक प्रयोजन हेतु उदघोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे।

दि0 31 -3-2021

(दीपक कुमार)
उपजिलाधिकारी-सदर,
मुजफ्फरनगर।

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि
पत्रावलियों से की जा सकती है।